

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-27/740/एक-1-2016-20(5)/2016

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-219 के अधीन शक्ति का प्रयोग और अधिसूचना संख्या-258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का अधिक्रमण करके राज्यपाल कलेक्टरों को उक्त अधिनियम संख्या-8, सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्निष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की, उक्त अधिनियम संख्या 8, सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य, शक्ति उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड (5) के भाग 1 के परिशिष्ट-9 में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग के हेतु अपेक्षित हों, प्रतिनिहित करते हैं। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित भूमि निःशुल्क पुनर्गृहीत करायी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।